न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 167/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 26/11/2024

उनवान

1. गीतादेवी पुत्री किशनदास बैरागी निवासी पारी हा.मु. जेतपुरा तहसील भूपालसागर
2. मोहनी पुत्री किशनदास बैरागी निवासी पारी हा.मु. जेतपुरा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. राधुदास पिता किशनदास बैरागी निवासी पारी तहसील भूपालसागर
2. सोहनदास पिता किशनदास बैरागी निवासी पारी तहसील भूपालसागर
3. रामचन्द्र पिता चुन्नीलाल गुर्जर निवासी पारी तहसील भूपालसागर
4. पटवारी, पटवार हल्का, पारी तहसील भूपालसागर
5. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजकुमार लढ्ढा, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थीगण के अधिकार एवं आधिपत्य की पैतृक आराजियात मौजा पारी तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके साबिक नंबर 176/5 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आ.सं. 422/4 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा एवं साबिक आ.सं. 257 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा स्थित है, जिसके हाल आ.सं. 241 रकबा 0.95, आ.सं. 1990 रकबा 0.07 है., आ.सं. 3160/1914 रकबा 0.20 है., आ.सं. 3161/1914 रकबा 0.06 है., आ.सं. 3162/1914 रकबा 0.07 है., आ.सं. 3163/1914 रकबा 0.07 है., आ.सं 3165/1988 रकबा 0.12 है. कुल किता 7 रकबा 1.56 है. आ.सं. 2007 रकबा 1.10 है. स्थित है। सबूत के लिये जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। वादग्रस्त आराजियात साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण के पिता किशनदास पिता प्रतापदास बैरागी के खातेदारी में दर्ज थी लेकिन प्रार्थीगण के पिता [illegible] के बाद अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने मिलकर के चुपके से वादगत आराजियात अपने खातेदारी में [illegible] कर ली तथा अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा वादगत आराजियात में से खाता सं. 400 की आराजियात रकबा [illegible] है. में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 को दिनांक 04.08.2014 को विक्रय कर दिया, [illegible] ऐसा कृत्यक करने को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है एवं वादगत आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति होकर के प्रार्थीगण के पैदाइशी हक एवं अधिकार की आराजियात है, जिसमें प्रार्थीगण का पैदाइशी हक निहित है। प्रार्थीगण का सजरा निम्न है : किशनदास – राधुदास अ.सं. 1, गीतादेवी प्रा.सं. 1,

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 18:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सोहनदास अ.सं. 2, मोहनीबाई प्रा.सं. 2। वादगत आराजियात प्रार्थीगण की मौरूसी जायदाद होकर पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें प्रार्थीगण का पैदाइशी हक एवं हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीगण किशनदास पिता प्रतापदास की जायन्दा पुत्रियां है लेकिन अ.सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादगत आराजियात को चुपके से अपने खातेदारी में दर्ज करा दिया तथा प्रार्थीगण को अपने पिता की पैतृक जायदाद से वंचित कर दिया तथा अ.सं. 2 के द्वारा वादगत आराजियात में से अपने हिस्से 1/2 को चुपके से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 04.08.2014 को अप्रार्थी सं. 3 को विक्रय कर दिया एवं दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों के द्वारा हाल आ.सं. 2007 रकबा 1.10 है. आराजियात को राजकीय भूमि दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि राजस्व कर्मचारियों को ऐसा कृत्य करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा अ.सं. 2 के द्वारा प्रार्थीगण की पैतृक जायदाद को चुपके से किसी अन्य को विक्रय करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए अ. सं. 2 के द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में बहनामा (विक्रय पत्र) लिख पंजीयन कराया गया जो अवैध एवं शून्य है। इसलिए पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री मूल वाद में जारी फरमाई जाकर के प्रार्थीगण को सम्पूर्ण आराजियात को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री मूल वाद में जारी फरमाई जावे कि अपने हिस्से से अधिक का लिखा गया बहनामा अ.सं. 3 के पक्ष में दिनांक 04.08.2014 को अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे तथा साबिक आ.सं. 176/5 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल आ.सं. 2007 रकबा 1.10 है. हेतु इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री मूल वाद में पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाई जावे। पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेा जारी फरमाया जाकर के अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं. 3 वादगत आराजियात का नामान्तरण चुपके से अपने नाम नहीं खुलवाऐं तथा प्रार्थीगण का कब्जा नहीं हटावें एवं अप्रार्थी सं. 4 व 5 राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति परिवारजन एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा ने अधिकार मय जवाब पेश किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने झूठे व मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। कॉलम सं. 2 में अंकित साबिक आराजियात रकबा रिकार्ड अनुसार सही है तथा उसके वर्तमान आ.नं. बने वो भी सही है लेकिन प्रार्थीगण के खते अधिकार की संयुक्त या पृथक नहीं है। प्रा. पत्र की कॉलम सं. 3 अस्वीकार है, प्रार्थीगण के पिता किशनदास की खातेदारी आराजियात में उनकी मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल राजस्व कर्मचारियों के द्वारा तस्दीक किया गया उस समय प्रार्थीगण मौखिक हक हिस्से के लिए मना कर दिया था प्रार्थीगण ने स्वयं स्वेच्छा से नाम अंकित नहीं कराने की सहमति दी थी सजरा सही बनाया है अप्रार्थी सं. 1 व 2 सगे भाई है और प्रार्थीगण बहने हैं। प्रा. पत्र की कॉलम सं. 4 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण मृतक किशनदास की वारिस होकर पुत्रियां है तथा आराजियात भी मौरूसी होना स्वीकार है। प्रार्थीगण की सहमति से ही अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है मौके पर दोनों अलग अलग काश्त कर रहे हैं प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है प्रार्थीगण अपने ससुराल रहती है मौके [illegible] का कोई कब्जा नहीं है मुझ अप्रार्थी को घरखर्च व अन्य जरूरतों की पूर्ति [illegible] होने से मेरे हक हिस्से की आराजियात को विक्रय की है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक [illegible] निहित नहीं है, क्योकि उन्होने स्वेच्छा से अपना मौखिक हक त्याग किया है इसलिए प्रार्थीगण को पुनः खातेदारी घो णा कराने का हक अधिकार नहीं है और दिनांक 04.08.2014 को निष्पा[illegible] विक्रय पत्र भी सही व विधि अनुसार निष्पादित किया है। प्रार्थना पत्र की कॉलम 5 अस्वीकार है प्रार्थीगण का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा मुझ अप्रार्थी का भी मेरे हक हिस्से पर मेरा कब्जा नहीं है अप्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Punit Kumar Golra
Date: 2025.03.19 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

सं. 3 का कब्जा है जो विधि अनुसार विक्रय पत्र द्वारा कब्जा प्राप्त किया है इसलिए मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा ही नहीं है तो कब्जा हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और इस आशय की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कॉलम सं. 6, 7 अस्वीकार है, प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुजन पक्ष प्रार्थीगण के नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है, 9 अस्वीकार है, 10, 11, 12 कानूनी है, 13 की ताईद में शपथ पत्र पेश है। विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रा. पत्र में वर्णित आराजियात बाबत अप्रार्थी सं. एक राधुदास ने हम अप्रार्थीगण के खिलाफ न्यायालय अपर जिला न्याधीश सं. एक चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में विक्रय अनुबंध की पालना बाबत वाद पेश किया जो दिनांक 27.03.2019 को प्र.सं. 181/2014 (103/2012) मूल सिविल वाद से खारिज हो चुका है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में से मुझ अप्रार्थी सोहनदास ने मेरा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी रामचन्द्र को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2014 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से आराजियात के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी रामचन्द्र का कब्जा होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण है एवं प्रार्थीगण का कोई हक व कब्जा नहीं है प्रार्थीगण गांव पारी में बरसों से निवास भी नहीं कर रही है इस कारण स्वामित्व व कब्जे के अभाव में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार काश्तकार के खिलाफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा आरआरटी 2023 (2) पी 1090, आरआरटी 09 (2) पी 1398, आरआरटी 2016–17 पी 637 पेश किये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा किसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर